



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000 के दंड की सजा दिलाई गई ,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत अ0सं0-9955/2013, धारा- 302 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द0प्र0क्षे कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त **सलमान उर्फ सल्लू पुत्र रमेश जोगी** नि0 जुगयाना कस्बा व थाना राठ हमीरपुर को **7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10.000** के दण्ड से दण्डित किया गया।



अपर डीजीसी श्री
मणिकर्णशुक्ला



विवेचक उ0नि0
श्री राकेश कुमार
मिश्रा



पैरोकार राठ
का0 श्री प्रदीप भार्गव